न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 39 / 2025
ऑनलाईन नम्बर 2025 / 72

निर्णय दिनांकः30.03.2026

दिलीपसिंह पुत्र स्व. श्री अमरसिंह जी, जाति राजपूत, उम्र 61 वर्ष, निवासी 184, हनवन्त नगर, बी.जे.एस., नगर, जोधपुर

—प्रार्थी—

बनाम

1. श्रवणराम पुत्र श्री सोहनराम जाति जाट
2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट
3. टिकूराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट
4. दूलाराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट
5. पूर्णाराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट
6. भानीराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट
7. गोविन्दराम पुत्र श्री भोजाराम जाति जाट

निवासीगण ग्राम बेनीसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

8. सावंतराम पुत्र सोहनराम, जाति जाट, निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।
10. चेतराम पुत्र श्री गंगाराम, जाति जाट, निवासी खसरा नम्बर 132, ग्राम बेनीसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी ।
2. अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 व 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 750 / 130 रकबा 4.000 हेक्टर गांव बेनीसर तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर में आई हुई हैं। गांव बेनीसर में खसरा नं. 608 / 166 की भूमि की पश्चिमी सीमा पर कटाणी रास्ता बेनीसर रेल्वे स्टेशन से चलकर गांव लखासर चलता हैं। उपरोक्त कटाणी रास्ते के बाद खसरा नं. 607 / 167 रकबा 2.78 हेक्टर भूमि स्थित हैं जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 हैं इस खसरे के चिपते ही खसरा नं. 167 स्थित हैं जिसके खातेदार अप्रार्थीगण 02 से 06 हैं तथा इसके बाद खसरा नं. 616 / 131 की भूमि स्थित हैं जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 7 हैं । प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 750 / 130 पर आवागमन हेतू कोई कटाणी रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी खसरा नं. 608 / 166 के पश्चिमी मांठ पर चलने वाले कटाणी मार्ग से होते हुए खसरा नंबर 607 / 166 की उत्तरी सीमा के सहारे चलकर खसरा नं. 167 की उतरी सीमा के सहारे चलने हुए खसरा नं. 616 में घुसकर इस खसरे की पूर्वी सीमा के सहारे चलने हुए खसरा नं. 750 / 130 की खातेदारी की भूमि में प्रवेश करता हैं, एवं इसी रास्ते से हमेशा आवागमन करता हैं। मौके पर जो रास्ता चल रहा हैं उसे संलग्न नजरी नक्शे में 'अ', 'ब' व 'स' डोटेड लाईन से दर्शाया जा रहा हैं जिसे इस प्रार्थना पत्र का अंग माना जावें। प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 750 / 130 पर आवागमन का अन्य कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं एवं प्रार्थी को संलग्न नक्शे में बताये जा रहे हैं 'अ', 'व' व 'स' भाग पर रास्ते की अत्यंत आवश्यकता हैं एवं रास्ते के अभाव में कृषि कार्य में वहूत परेशानी होती हैं। खसरा नं. 750/130 पर आगमन पर तहसीलदार महोदय व हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 132 से जो कि गांव लखासर से गांव बेनीसर से होते हुए रेल्वे स्टेशन की तरफ कटानी रास्ता उपलब्ध हैं उक्त कटानी रास्ता में खसरा नं. 132 में से खसरा नंबर 750/130 ग्राम बेनीसर मुझ प्रार्थी को सबसे उपयुक्त व सबसे छोटा एवं नजदीक रास्ता हैं। तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 67/166, 167, 616, 131 की दूरी लगभग 614 मीटर हैं जबकि खसरा नंबर 132 से खसरा नंबर 750/130 में से कटानी रास्ता की दूरी 130 मीटर की दूरी ही हैं चुंकि उक्त खसरे की भूमि का खातेदार चेतराम हैं इस कारण चेतराम इस मुकदमें के आवश्यक पक्षकार हैं जिसको अब पक्षकार बनाया गया हैं। चुंकि खसरा नंबर 132 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 8 नहीं हैं, एवं खसरा नंबर 132 में से निकाले जाने वाला रास्ता सबसे उचित मूल्य एवं प्रार्थी के सोलर प्लांट में जाने के लिए एवं राजस्व, कम लागत एवं आर्थिक भार कम पडे एवं भारी वाहन का आना जाना किफायती हो । यहाँ यह लिखना भी उचित हैं कि प्रार्थी का सोलर प्लांट बिजली डिस्कॉम बेनीसर के अधीन हैं, जो कि एक सरकारी विभाग हैं जिससे इनका भी रास्ते से आने जाने के लिए आसान होगा । प्रार्थी 'अ', 'ब' व 'स' भाग पर 30 फुट चौडे रास्ते की आवश्यकता हैं एवं रास्ते के उपयोग में आने वाले रकबे का प्रार्थी मुआवजा देने को तैयार हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार उनके खातेदारी में से रास्ते हेतू जाने वाले क्षेत्र के लिए मुआवजे की कीमत देकर आपसी सहमती से रास्ता घोषित करवाने हेतू निवेदन किया परंतु उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नही दिया। प्रार्थी को रास्ते की सख्त आवश्यकता हैं एवं भविष्य में प्रार्थी के लिए रास्ते की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं इस कारण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये 'अ', 'ब' व 'स' भाग पर 30 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवा कर उक्त रकबा गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाना जरूरी हैं। प्रार्थी की भूमि गांव बेनीसर में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार हैं । अप्रार्थी संख्या 8 भूमिधारी होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं अन्यथा उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं । प्रार्थना पत्र निर्धारित कोर्ट फीस 2/— रूपये पर पेश किया जा रहा हैं । अतः श्रीमान्जी को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार खसरा नं. 608/166, 607/166 खसरा नं. 167 व खसरा नं. 616/131 की भूमि में 'अ', 'ब' व 'स' भाग पर 30 फुट चौडा रास्ता घोषित किया जावें एवं राजस्व नक्शा में रास्ता तरमीम किया जावें । चुंकि प्रार्थी को खसरा नंबर 132 में से होकर 750/130 में जो 130 मीटर की दुरी पर हैं, को कटानी रास्ता घोषित किया जावें ताकि प्रार्थी को आगमन कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थी के स्थित सोलर प्लांट में आवश्यकतानुसार बड़ी गाड़ियां आने की संभावना हैं व प्रार्थी को उक्त कटानी रास्ते में पैसा भी कम खर्च होगा व सबसे छोटा व उपयुक्त रास्ता हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 व 10 की ओर से असालतन व वकालतन कोई हाजिर नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ओर से पैरोकारराज ने मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकरान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायिक दृष्टान्त एस.बी सिविल रिट मुकदमा नंबर 11268/2022 निर्णय दिनांक 16.05.2023 पेश की गई।

स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि रास्ता वर्तमान में ख.नं. 608/166, 607/166, 167, 616/131 में से होकर ख.नं. 750/130 में जाता है जिसकी खसरावार दूरी लगभग क्रमशः 50 मीटर, 96 मीटर, 260 मीटर, 208 मीटर कुल 614 मीटर है। खेत के सबसे निकटतम दूरी कटानी रास्ता ख.नं. 132 में से है। जो 130 मीटर की दूरी पर है। वर्तमान प्रचलित रास्ते को प्रार्थी कटानी रास्ता करवाना चाहता है। रास्ते संबंधी समस्त जानकारियां फर्द मौका के संलग्न लगे नजरी नक्शा में दर्शायी गयी है तथा बिन्दूवार रिपोर्ट निम्नानुसार है संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार वर्तमान में कटाणी रास्ते से निकलकर ख.नं. 608/166, 607/166, 167, 616/131 में से होकर ख.नं. 750/130 में पहुंचते हैं। ख.नं. 750/130 के निकटतम लखासर–बेनीसर कटाणी रास्ता लगता है । निकटतम मार्ग लखासर–बेनीसर मार्ग है। वर्तमान में संलग्न दर्शाये गये नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार ख.नं. 608/166, 607/166, 167, 616/131 में से होकर ख.नं. 750/130 में जाते हैं। वर्तमान में संलग्न नजरी नक्शे में बताये अनुसार मार्ग पर आवागमन करते हैं। तथा ख. नं. 750/130 के कटानी रास्ते से निकटतम दूरी ख.नं. 132 में से है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का अवलोकन किया जाना उचित प्रतित होता है।

(I) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(II) अन्य खातेदार की जोत से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाता है।

चूंकि पत्रावली में उपलब्ध भूमिधारी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर प्रार्थी कटाणी मार्ग से खसरा नंबर ख.नं. 608/166, 607/166, 167, 616/131 में से होकर अपने खेत खसरा नंबर 750/130 से आवागमन करतें है। जैसा कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में भी उक्त मार्ग का उल्लेख किया गया है एवं प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 750/[illegible] लखासर–बेनीसर मार्ग है व उक्त कटाणी मार्ग से खेत खसरा नंबर 132 [illegible] जिसमे वर्तमान में प्रचलित मार्ग उपलब्ध है। अतः प्रार्थी के खेत तक पहुँच मार्ग उपल[illegible] है। तहसीलदार की रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी वर्तमान प्रचलित [illegible] दर्ज करवाना चाहता है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) [illegible]तहत रास्ते की मंजूरी केवल तभी दी जा सकती है जब प्रार्थी के खेत तक किसी भी प्रकार के पहुँच मार्ग का अभाव हो। प्रार्थी [illegible] वर्तमान प्रचलित रास्ते को कटानी दर्ज करवाना है तो वह सुसंगत धाराओं के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है किंतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र एवम् तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के मनन करने से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251ए के तहत पोषणीय नहीं है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested